RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 07/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण–**
1. श्री केसाराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा।		1. श्री ग्राम पंचायत समदड़ी जरिए संरपच ग्राम पंचायत समदड़ी जिला बालोतरा। 2. श्रीमती गवरी देवी बैवा तिलोकाराम 3. श्री लिखमा राम पुत्र तिलोकाराम जातियान मेघवाल, निवासीयान समदड़ी, तहसील समदड़ी जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 36 दिनांक 11.08.2023 जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश डाबी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :11.06.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदड़ी (वर्तमान नगर पालिका) द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 11.08.2023 के विरूद्ध दिनांक 14.08.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत समदड़ी (वर्तमान नगरपालिका) द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा समदड़ी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 36 दिनांक 11.08.2023 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1350 वर्ग फीट दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उत्तर में 90 फीट रामदेवजी का मंदिर, बदिशा दक्षिण 90 फीट व लालचन्द तथा अशोक पुत्र

जिला कलक्टर
बालोतरा

खेताराम, पूर्व में 15 फीट व दरवाजा रास्ता पश्चिम में 15 फीट व गली दरवाजा आया हुआ है। उक्त पट्टे को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 की संयुक्त व पैतृक संमति मौजा समदड़ी की आबादी भूमि में बमौहल्ला नई वास में नाप 1500 वर्गफीट का प्रार्थी का रहवासीय भूखण्ड स्थित हैं तथा एक भूखण्ड बमौहल्ला भाखर वाली वास में नाप 1350 वर्गफीट का स्थित हैं। उक्त दोनो भूखण्ड का मेरे भाई लिखमाराम ने मौखिक बंटवाडा कर दिया था, उसके बाद वर्ष 1998 में हम भाईयो के आपस में बंटवाडा किया, जिसका इकरारनामा दिनांक 27.05.1998 को मेरे भाई लिखमाराम व मेरे बीच लिखा गया। उक्त इकरारनामा के अनुसार ग्राम समदड़ी में नई वास में स्थित नाप 15•100–1500 वर्गफीट का भूखण्ड मेरे बंट में आया, जिसके पड़ौस उतर दिशा में मंदिर रामदेवजी, दक्षिण दिशा में रेवंताराम पुत्र भूरारामजी, मेरे चाचा के बंट का मकान हैं, पूर्व दिशा में आम रास्ता व पश्चिम दिशा में गली रास्ता हैं। मेरे भाई लिखमाराम के बंट में भाखर वाली वास में स्थित भूखण्ड जिसका नाप 30•45–1350 वर्गफीट का भूखण्ड दिया गया था, जो पट्टा मेरी माताजी गवरी देवी के नाम से बना हुआ था। जिसको बाद में मेरे भाई लिखमाराम के द्वारा मोहनलाल पुत्र डूंगरराम मेघवाल के पक्ष में बेचान कर दिया गया। मेरे बंट में नई वास समदड़ी में स्थित भूखण्ड में मेरा सुस्थापित कब्जा एवं रहवास हैं, जिसमें मेरे नाम का विद्युत एवं जल कनेक्शन लिया हुआ हैं तथा भूखण्ड में खण्डो का पडवा बना हुआ तथा एक पक्के कमरे की दीवार की हुई जो खुल्ला, एक टांका जो खुल्ला पडा हैं, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा पट्टा सं. 387 दिनांक 25.02.2024 को मेरे हक में जारी किया था किन्तु मेरे भाई लिखमाराम एवं मेरी माता द्वारा मेरे पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध श्रीमान् जिला कलेक्टर बाड़मेर में निगरानी सं. 42/2015 बअनवान गवरीदेवी वगैरा बनाम ग्राम पंचायत समदड़ी वगैरा प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 19.07.2017 को निर्णय पारित किया जिसमें मेरे पक्ष में जारी पट्टा सं. 387 को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की जो दिनांक 15.12.2017 को मुझे पट्टा हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए रिट खारिज फरमायी गयी। तब मैने अपने उपरोक्त भूखण्ड का पुनः पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत समदड़ी में दिनांक 16.02.2018 को आवेदन किया गया, किन्तु मेरे आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 01.07.2024 को मैं अपने उक्त भूखण्ड में नालियो के पडवे पर नालियां उतारकर पतरे चढ़ा रहा था, तब मेरे भाई लिखमाराम ने मेरी शिकायत पुलिस में कर दी तथा मेरे भाई लिखमाराम ने मुझे धमकाया कि तेरे हक हिस्से एवं बंटवाडा

जिला कलक्टर
बालोतरा

के भूखण्ड का पट्टा मेरे भाई लिखमाराम ने ग्राम पंचायत के सरपंच खमलीदेवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर, मेरे साथ छल–कपट करने व मेरे बंट में आये भूखण्ड को हडप करने एवं मुझे हानि पहुंचाने की नियत से दस्तावेजो की कूटरचना करके, मेरे हक हिस्से व बंटवाडा में प्राप्त भूखण्ड का पट्टा विधि विरूद्ध ढंग से मेरे भाई लिखमाराम ने ग्राम पंचायत के सरपंच खमलीदेवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा लाभप्राप्त करने व मुझे हानि पहुंचाने हेतु मेरी माता गवरीदेवी के नाम से पट्टा फर्जी तरीके से जारी करवा दिया हैं। अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की घोर अवहेलना करते हुए फर्जी कार्यवाही कर रेस्पोन्डेन्ट सं. 02 के हक में पट्टा सं. 36 दिनांक फैसला 05.08.2023 को अवैद्य रूप से जारी कर दिया हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जो उक्त पट्टे को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

5. अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि यह हैं कि वादग्रस्त स्थल पर अप्रार्थीगण सं. 02 व 03 का कभी कोई कब्जा या रहवास नहीं रहा हैं। वर्तमान आलोच्य पट्टे के संबंध में कोई आवेदन अप्रार्थी सं. 02 द्वारा आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी सं 02 के फर्जी अंगुष्ठ निशान करके आवेदन प्रस्तुत किया हैं। मौका निरक्षण प्रपत्र बिल्कुल ही खाली हैं तथा मौका निरीक्षण कमेटी के सदस्यो के हस्ताक्षर नही हैं। आपतिया प्राप्त करने की सूचना जारी किए जाने के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं हैं। प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपतियां आमंत्रित करने के संबंध में जारी नोटिस में न तो नोटिस की क्रम संख्या अंकित हैं और न ही दिनांक अंकित हैं। ग्राम पंचायत की आज्ञाओ की सूची में बैठक की दिनांक या बैठक प्रस्ताव संख्या का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा आनन–फानन में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्धेश्य से पंचायतीराज नियम की पालना किये बगैर फर्जी तरीक से आलोच्य पट्टा संख्या 36 अप्रार्थी सं 02 के हक में जारी किया हैं, जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य हैं।

6. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पैतृक है, जो मौजा समदड़ी में अवस्थित है। उक्त आलोच्य भूखण्ड का किसी प्रकार पैतृक संपति के अनुसार बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। उक्त आलोच्य भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 के माता गवरी देवी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया हैं। प्रार्थी स्वयं मौजा समदड़ी में नहीं रहकर कहीं बाहर निवास करता है। उक्त भूखण्ड का प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूखण्ड पैतृक होने के कारण हिन्दु उतराधिकार के तहत सर्वप्रथम माता–पिता का अधिकार होता है। माता–पिता की मृत्यु उपरांत ही उनके वारिसान को हिस्सा प्राप्त होता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 की माता के नाम आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जो सही है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 25.02.2014 को भी अपने पैतृक संपति का फर्जी तरीके से अपने नाम का पट्टा संख्या 387 जारी करवाया गया था। पट्टा संख्या 387 के विरूद्ध अप्रार्थीनी संख्या 2 द्वारा न्यायाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो अति

जिला कलक्टर
बालोतरा

जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा मुकदमा संख्या 42/2015 निर्णय दिनांक 19.07.2017 को खारीज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 19.07.2017 के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई तथा प्रार्थी को पुनः आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हुए अपील खारीज की गई, लेकिन प्रार्थी द्वारा 15.12.2017 से 2023 तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.06.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत समदड़ी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, दिनांक 20.07.2023 को तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी गठन कर मौका निरीक्षण किया गया तथा प्रारूप 22 में आपतियां आमंत्रण कर चस्पा किया गया। संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.08.2023 की अनुपालना में रसीद सख्या 88/14.08.2023 को नियमानुसार 200/– की राशि जमा करवाकर दिनांक 14.08. 2023 को पट्टा संख्या 36 अप्रार्थी संख्या 2 गवरी देवी के नाम अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया है, जिसका अंकन बैठक कार्यवाही रजिस्टर, पट्टा बुक तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल व आदेशिकाओं में अंकित किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा फर्जी होना बताया गया, लेकिन प्रार्थी द्वारा फर्जी पट्टा होने के संबंध में किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के सम्पुर्ण नियमों के प्रावधानों की पालना करते हुए उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 36 अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.08.2023 को ग्राम पंचायत समदड़ी की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 36 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 का पैतृक एवं संयुक्त स्वामित्व का है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए, अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलिभगत कर गुप्त व फर्जी तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 36 जारी किया गया है। इस संबंध मे अधीनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से तलब किया गया अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने दिनांक 20.06.2023 को सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर पत्रावली संधारित की जाकर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने की आदेशिका जारी हुई है। इसके पश्चात दिनांक 20.07.2023 को तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई, जिसमे अप्रार्थी के पक्ष मे नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण की सिफारिश की गई। मौका निरीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जाकर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया, जिस पर निर्धारित अवधि मे कोई आपत्ति पेश नहीं होने पर संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.08.2023 की अनुपालना में अप्रार्थी सख्या 2 द्वारा रसीद सख्या 88/14.08.2023 को नियमानुसार 200/– रूपये की राशि जमा करवाकर दिनांक 14.08.2023 को

जिला कलक्टर
बालोतरा

पट्टा संख्या 36 अप्रार्थी संख्या 2 गवरी देवी के नाम अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संपूर्ण नियम का विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा सं. 36 दिनांक 14.08.2023 को जारी किया गया है, जिसका अंकन बैठक कार्यवाही रजिस्टर, पट्टा बुक तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल में अंकित किया गया, होना पाया गया। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थी की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। साथ ही जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी का पैतृक स्वामित्व व सामलाती का कब्जा कायम रहा है, तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से स्वामित्व की पुष्टि हेतु ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हों कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी का हैं एवं प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा फर्जी होने के संबंध में किसी भी प्रकार साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर अपना हक–अधिकार होना मानता हैं, तो उसे सक्षम न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए। ऐसे मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप आलोच्य पट्टा संख्या 36 दिनांक 14.08.2023 को बहाल रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा